न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा।

दाखिल–खारिज अपील वाद संख्या–71/2022-23

श्री/श्रीमती–नकुल कुमार राणा..........अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार............................प्रतिवादी।

आदेश

यह अपील वाद श्री/श्रीमती नकुल कुमार राणा, पिता–छोटी राणा, ग्राम–रायडीह, जिला–कोडरमा ने अंचल अधिकारी, डोमचांच के नामान्तरण वाद संख्या–72/2022-23 में दिनांक–13-07-2022 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

उक्त वाद में अपीलार्थी को समस्त कागजात समर्पित करने एवं उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। सुनवाई के दरम्यान बताया गया कि खाता–126, प्लॉट–1988, 1989 एवं 1990, रकवा–15.33डी0 का जमाबन्दी रकवा सुधार करवा लिए है। अंचलाधिकारी के पत्रांक–646 दिनांक–07.06.2023 के अनुसार जमाबन्दी रकवा में सुधार के पश्चात् नामान्तरण किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, डोमचांच के पत्रांक–647 दिनांक–07.06.2023 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि नकुल कुमार राणा के द्वारा दाखिल–खारिज हेतु आवेदित भूमि मौजा रायडीह अंतर्गत खाता सं0–126, प्लॉट सं0–1988, रकवा–11.33 डी०, प्लॉट सं0–1989. रकवा–2 डी०, प्लॉट स0–1990, रकवा–2 डी० कुल रकवा–15.33 डी० पूर्व में आवेदित नामांतरण वाद सं0–290/2021–23 के द्वारा किया गया, जिसमें तकनिकी त्रुटि के कारण अपलोड किया हुआ राजस्व कागजात नहीं खुलने के कारण आवेदक से नोटिस के माध्यम से कागजात की मांग की गई, परन्तु आवेदक के द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के कारण उक्त वाद को राजस्व कागजात के आभाव में अस्वीकृत किया गया। पुनः आवेदक के द्वारा नामांतरण वाद सं0–72/2022–23 के माध्यम से आवेदित किया गया। दाखिल–खारिज हेतु संलग्न राजस्व कागजात एवं ऑनलाईन में इन्द्राज भूमि मौजा रायडीह अंतर्गत खाता सं0–126, प्लॉट सं0–1988 के रकवा अवलोकन में पाया कि सर्वे खतियान में उक्त खाता, खेसरा की खतियानी रकवा–34 डी० के विरुद्ध 3.93.11 एकड़ भूमि की जमाबंदी पूर्व से ही चल रहा है. जो खतियानी रकवा से अधिक है। आवेदित भूमि क्रेता के दखल में है। भूमि रैयती है। विक्रेता के द्वारा बिक्री की गई रकवा स्पष्ट करने एवं पूर्व से जमाबंदी में दर्ज खतियानी रकवा से अधिक रकवा में सुधार करवाने के उपरान्त दाखिल–खारिज की कार्रवाई नियमानुसार की जा सकती है।

अतः संलग्न कागजातों का अवलोकन एवं प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, डोमचांच को Remand Back करते हुए निर्देश दिया जाता है कि मूल पंजी से मिलान कर राजस्व कागजातों का अवलोकन करते हुए नामान्तरण वाद संख्या–72/2022-23 में दिनांक–13-07-2022 में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, डोमचांच को अनुपालनार्थ प्रेषित। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.06.11 16:17:35 +05:30
Location: 192.168.0.104

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

29/5/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।